

दिनांक 31.07.2012 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में पैक्स/स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु सम्पन्न जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पैक्स/स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आहुत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
7. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
8. सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।

सर्व प्रथम सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा पर विचार किया गया। तत्पश्चात पैक्स/स्वयं सहायता समूहों को जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी कुल-03 (तीन) प्राप्त अभिलेखों पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया।


(1) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक-5738 दिनांक 23.06.2011 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 तथा विभागीय पत्रांक 6771 दिनांक 17.08.2011 एवं पत्रांक 8054 दिनांक 08.09.2011 में वर्णित दिशा-निर्देश के आलोक में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला चयन समिति के द्वारा निम्न पैक्स/स्वयं सहायता समूह को जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

क्र0	अनुमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पैक्स/स्वयं सहायता समूह का नाम	संचालक/प्रबन्धक का नाम	अनुज्ञापन पदा0 के पत्रांक/दिनांक जिसके द्वारा अनुशंसा प्राप्त है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	सदर मुंगेर	घरहरा	सारोबाग पैक्स	श्री मनोज मंडल, अध्यक्ष	67/27.01.2012	
2.	खड़गपुर	खड़गपुर	मझगाँव पैक्स	श्री उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष	18/17.01.2012	
3.	सदर मुंगेर	बरियारपुर	नव ज्योति स्वयं सहायता समूह, संयुक्त ग्राम कल्याणटोला, विन्दादियारा	श्री मनोज कुमार शर्मा, अध्यक्ष	387/25.07.2012	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को निदेश दिया गया कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि स्वयं सहायता समूह के खाता में 100000 (एक लाख रुपये) की राशि जमा है एवं गोदाम के लिए स्थान उपलब्ध है।


संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुज्ञप्ति संबंधित पैक्स/स्वयं सहायता समूह के नाम से निर्गत करेंगे न कि किसी पदधारक के नाम से। अनुज्ञप्ति के संचालक को बदलने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।  
अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ज्ञापांक.. 630 / जि0आ0, दिनांक... 11/08/2012  
प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

है-  
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष  
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

  
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष  
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक.. 630 / जि0आ0, दिनांक... 11/08/2012  
प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष  
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।